2021/85

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला सांतपुर
आबूरोड़ जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 37 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.04.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 13.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 09200208665984 की जांच उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा की गई थी जिसमें अपीलांट ने अपना लिखित पक्ष दिनांक 29.01.2021 को प्रस्तुत किया था। अतः उक्त प्रकरण में की गई जाचं प्रतिवेदन व संलग्न लगे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाय जान का निवदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 13.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 09200208665984 की जांच उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा की गई थी जिसमें अपीलांट ने अपना लिखित पक्ष दिनांक 29.01.2021 को प्रस्तुत किया था। अतः उक्त प्रकरण में की गई जाचं प्रतिवेदन व संलग्न लगे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:19:49 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner